ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. No.- 52-54
ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-18, No.- II, Issues-32, YEAR- April-June-2024

अपराध में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी– एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

1. नीलम पासवान
2. प्रो0 सुमी धुसिया

1. शोध अध्येत्री, 2. प्रोफेसर– दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उ0प्र0), भारत

Received-07.04.2024, Revised-14.04.2024, Accepted-19.04.2024 E-mail: paswaneelam123@gmail.com

सारांश: अपराध असंख्य जटिल कारकों की एक अभिव्यक्ति है। अपराधिक व्यवहार के कारण सामाजिक प्रक्रियाओं और संरचनाओं मे निहित है। सामाजिक परिवर्तन के इस दौर में महिला अपराध की अवधारणा को ज्वलंत सामाजिक समस्या के रूप मे देखा जा सकता है। विकास के इस दौर मे वैश्वीकरण, आद्यौगिकरण, पश्चिमीकरण, शहरीकरण, सूचना प्रौद्योगिकीकरण एंव संचार क्रान्ति के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले विभिन्न सामाजिक–सांस्कृतिक आर्थिक कारको से महिला अपराधिता को बढ़ावा मिला है। इसी बढ़ती महिला अपराधिता की अवधारणा ने विभिन्न समाजशास्त्रीयों, मनोवैज्ञानिकों और अपराधशास्त्रीयों का ध्यान आकर्षित किया है। भारतीय समाज पुरूष प्रधान एंव महिला संरक्षिका होने के कारण, महिलाओ का अपराध की तरफ बढ़ने से भारतीय संस्कृति के प्रतिमानो को प्रभावित किया है। आज अपराध एक व्यवसाय भी बन गया है। आज अपराध अपनी आवश्यकताओं की पुर्ति के लिए नही बल्कि असिमित इच्छाओं की पूर्ति व धन की चाह के लिए किया जा रहा है। अब इसमे ज्यादातर अच्छें घर की लड़कियां तक शामिल हो रही है जो अपनी असिमित इच्छाओ को पूरा करने के लिए ठगी और ब्लैकमैलिंग का काम करती है। अपराध के क्षेत्र में पुरूषों के साथ–साथ महिलाओ का भी हस्तक्षेप बढ़ा है। बीते कुछ सालों का आकड़ा देखा जाए तो अपराधिक जगत में महिलाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है।

कुंजीभूत शब्द– सामाजिक–सांस्कृतिक परिवर्तन, महिला अपराध, वैश्वीकरण, आधुनिकता, अपराधिक व्यवहार, अभिव्यक्ति, ज्वलंत।

लोग समाजीकरण की प्रक्रिया के कारण अपराध करते है, जिसमे व्यक्ति की मजबूत भावना को विकसित नही कर पाता है। जैसे–जैसे समाज परम्परागत से आधुनिकता के तरफ बढ़ रहा है, वैसे–वैसे समाज मे हो रहे सामाजिक–सांस्कृतिक परिवर्तन कुछ समाज के अनुकूलन में सहायक होते है, तो कुछ समाज मे विचलन को जन्म देते है । इन्ही विचलन मे एक–महिला का अपराधिकरण है, अर्थात महिलाएं जिन्हें शालीनता और सहनशीलता का केन्द्र बिन्दु माना जाता रहा है। आज ऐसी क्या परिस्थितियां है जो उन्हे जघन्य अपराध यहत्या तकद्ध करने मे नही हिचकिचा रही है। विभिन्न विचारकों द्वारा अपराध का कानूनी और समाजशास्त्रीय दोनों परिभाषांए बताए गए है।

पॉल टप्पन ने अपराध को कानूनी परिभाषा देते हुए बताया है कि एक साभिप्राय (International) कार्य है या आचरण है, जो दण्ड कानून का उल्लंघन करता है और जो बिना किसी सफाई और औचित्य (Justification) के किया जाता है।

अपराध की गैर कानूनी और सामाजिक परिभाषा के रूप में काल्डवेल ने अपराध की व्याख्या की है कि वे कार्य या उन कार्यो को करने में चूक (Failure to cut) जो समाज मे प्रचलित मानदण्ड़ों की दृष्टि मे समाज के कल्याण के लिए इतने हानिकारक है, कि उनके संबध मे कार्यवाही किसी निजी पहलशक्ति (initiative) था अव्यवस्थित प्रणालियो (Haphazard Mathod) को नही सौंपी जा सकती परन्तु वह कार्यवाही संगठित समाज द्वारा परिक्षित प्रक्रियाओं (tested Procedure) के अनुसार की जानी चाहिए।

सामाजिक–सांस्कृतिक परिवर्तन के इस दौर ने महिलाओं की स्थिति को काफी हद तक प्रभावित किया है। वैश्वीकरण, पश्चिमीकरण, मशीनीकरण आदि ने महिलाओं को घर से बाहर निकालकर पुरूषो के समतुल्य लाने का कोशिश किया है लेकिन साथ ही महिलाओ में भटकाव की स्थिति भी लाया है जिससे महिलाए समाज और कानून के इतर काम कर रही है और अपराध की ओर बढ़ रही है। महिला अपराधियों की संख्या मे लगातार वृद्धि हो रही है। कुछ दशकों पूर्व तक अपराध को मुख्यतः पुरूष प्रधान घटना माना जाता था लेकिन समाज मे हो रहे महिला अपराध से सम्बन्धित घटनांए लगातार समाचार पत्रो द्वारा प्रकाशित किए जा रहे है। प्रत्येक दिन कम से कम एक घटना महिला अपराध से सम्बन्धित मिल जाएगी। इस क्षेत्र में हो रहे लगातार शोध कार्य भी इसका प्रमाण है कि महिला अपराध एक मुख्य समस्या उभरकर सामने आ रही है। सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनो के कारण समाजो में समस्याए उत्पन्न होती है। समाजिक परिवर्तन का अर्थ है प्रतिमानित भूमिकाओ (Patterned roles) मे परिवर्तन या सामाजिक सबंधो के जाल मे परिवर्तन या समाज की संरचनओ और संगठन में परिवर्तन। जैसे भारत एक पितृसत्तात्मक समाज रहा है, पुरूष प्रधान समाज होने के कारण महिलाओं द्वारा किए गए अपराध को परिवार से बाहर नही आने दिया जाता। परम्परागत समाज तथा कानून भी महिलाओं के प्रति अधिक संरक्षणात्मक था। समाज द्वारा महिला अपराध का रिपोर्ट न किया जाना या फिर कम रिपोर्ट किया जाना भी कारण है कि महिलाओं की समाजिक भूमिका एक श्रेष्ठ ढाल (Cover) है तथा परिवार अपराध छिपाने मे धुंए की दीवार का काम करता है। (ओटो पोलाक 1950 : 151)

शोध पत्र का उद्देश्य–

1. इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य अपराध में महिलाओं की भूमिका पर जोर देना है।
2. अपराध में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के पीछे कारणों का विश्लेषण करना ।
3. महिलाओ मे बढ़ती अपराध की प्रकृति का पता लगाना।

शोध पत्र की अध्यन विधि– अध्ययनकर्ता ने द्वितियक स्त्रोतों के माध्यम से आकड़ों का संग्रह किया है। विभिन्न किताबें, रिपोर्टस, मैंगजीन, जर्नल, समाचार पत्रों, प्रकाशित लेखों आदि के माध्यम से तथ्यों का संकलन किया गया है।

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-18, No.- II, Issues-32, YEAR- April-June-2024

तालिका 1: भारत में आईपीसी उपरोक्त के तहत गिरफतार किए गए व्यक्ति (2011 और 2021)

भारत में आईपीसी अपराधों के तहत गिरफ्तार व्यक्ति

2011 और 2021

(अपराध शीर्ष–वार और लिंग–वार)

क्रम सं0	अपराध शीर्ष–वार	2011					2021				
		पुरूष	महिला	कुल	पुरूष (%)	महिला (%)	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष (%)	महिला (%)
1	हत्या (Murder)				93.7	6.3	52635	3829	56464	93.2	6.8
2	हत्या करने का प्रयास (Attempt to Commit Murder)	72895	3179	76074	95.8	4.2	99362	4996	104358	95.2	4.8
3	गैर इरादतन हत्या जो हत्या की श्रेणी मे नही आती (C.H not amounting murder)	6928	160	7088	97.7	2.3	6876	242	7118	96.6	3.4
4	बलात्कार (Rape)	28112	766	28878	97.3	2.7	35357	884	36241	97.6	2.5
5	अपहरण (Kidnapping)	54956	2527	57483	95.6	4.4	59190	1802	60992	97.0	2.9
6	डकैती (Dacoity)	16758	250	17008	98.5	1.5	12209	203	12412	98.3	1.7
7	डकैती करना (Preparation & Assembly For Dacoity)	11360	19	11379	99.8	0.2	23310	26	23336	99.9	0.1
8	डकैती (Robbery)	35252	294	35546	99.2	0.8	45535	376	45911	99.1	0.8
9	सेंध (Burglary)	66819	1549	68368	97.7	2.3	77525	863	78388	98.9	1.1
10	चोरी (Theft)	197401	6806	202207	96.7	3.3	268934	4123	273057	98.5	1.5
11	दंगे (Riots)	334525	19461	353986	94.5	5.5	142612	12250	154862	92.1	7.9
12	विश्वास का आपराधिक उल्लघंन (Criminal Breach of trust)	23284	760	24044	96.8	3.2	20007	626	20633	97.0	3.0
13	धोखा (Cheating)	88147	4717	92864	94.9	5.1	110392	5943	116335	94.9	5.1
14	जालसाजी (Counterfeiting)	2063	67	2130	96.9	3.1	1299	37	1336	97.2	2.8
15	आगजनी (Arson)	12077	303	12380	97.6	2.4	8003	200	8203	97.6	2.4
16	आहत (Hurt)	479835	36063	515898	93.0	7.0	548418	43555	591973	92.6	7.4
17	दहेज हत्या (Dowry Death)	19814	4764	24578	80.6	19.4	12013	2966	14979	80.2	19.8
18	यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment)	8687	193	9880	98.0	2.0	18338	610	18948	96.8	3.2
19	पति या उसके रिश्तेदारो द्वारा क्रूरता (Cruelty By husband and Relatives)	139403	41298	180701	77.1	22.9	119896	23370	143266	83.7	6.3
20	लापरवाही से मौत का कारण (Death Due to Negligence)	90046	267	90313	99.7	0.3	98920	554	99474	99.4	0.6
21	अन्य आईपीसी अपराध (Other IPC Crimes)	1144506	63953	1208459	94.7	5.3	573006	26684	599690	95.5	4.5
22	कुल संज्ञेय आईपीसी अपराध (Total Cognizable Crimes under IPC)	2952290	193555	3145845	93.8	6.2	3308363	183924	3492287	94.7	5.3

तालिका 1 में 2011 और 2021 मे महिलाओं द्वारा किए गए अपराधों को दर्शाया गया है। यह स्पष्ट है कि महिला अपराधियों की संख्या पुरूष अपराधियों की संख्या से कम है किन्तु इनकी बढ़ती संख्या सामाजिक समस्या का विषय है। सारणी 1 से स्पष्ट है कि अन्य आईपीसी अपराध के तहत घरेलू अपराध, लड़ाई–झगड़ा आदि में इनकी संख्या प्रतिशत अधिक है जबकि पुरूषों और अन्य रिश्तेदारों के सहयोग द्वारा मामले मे वृद्धि देखी जा सकती है। दंगो मे सक्रिय भाग लेने मे, शारिरिक रूप से चोट पहुॅंचाने मे भी इनकी भागीदारी अधिक रही है। शेष अपराध जैसे हत्या, धोखाधड़ी, हत्या के प्रयास करना, अपहरण, चोट पहुॅंचाने, दहेज हत्या आदि में अपेक्षाकृत कम सक्रियता देखा जा सकता है।

2011 और 2021 के तुलनात्मक अध्ययन से यह पाया गया है कि महिलाओं का अपराध के क्षेत्र मे सक्रियता बढ़ती जा रही है, जो उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है।

महिला अपराधिता पर अध्ययन– पी.एम.के.मिलि और नीतू सुसन चेरियन ने अपने प्रकाशित लेख, Female Criminality in India: Prevalence, Causes and Preventive Measure, 2015 को दो भागो में बांटा है। पहले भाग में भारत में महिला अपराधिता के कारणों को सांख्यिकीय रूप से प्रस्तुत किया है और दूसरे भाग में महिला अपराधिता के विभिन्न कारणों का उल्लेख किया है साथ ही भारत में महिला अपराधिता को रोकने का सुझाव भी दिया है। इन्होने महिला अपराधिता के जैवीकीय, मनोवैज्ञानिक, समाजिक और आर्थिक कारकों का उल्लेख किया है।

राम अहुजा ने 1969 में अपनी पुस्तक भारत में अपराधी महिलाए में तीन राज्यो राजस्थान, मध्यप्रदेश, पंजाब के 325 महिला अपराधियों के अध्ययन में महिला अपराधियों का वर्गीकरण पांच आधारो पर किया है– वैवाहिक स्थिति, आयु, आय, शिक्षा और निवास। सामाजिक बन्धन सिद्धान्त का विकास कर महिला अपराधिकता के कारणों का सैद्धन्तिक आधार पर समझाया। इन्होने महिला अपराधियों के विशेषताओं को उनके सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमी के आधार पर चर्चा की है। इन्होंने इन बिन्दुओं को महिला अपराधिता के कारणों से सम्बन्धित उपकल्पना के विकास मे उपयोग किया है।

रीता साइमन ने अपनी पुस्तक Women and crime-1975 में महिला अपराधिता के विविध आयामों, जैसे अपराध के विस्तार

और अपराध के प्रकार और न्यायालय तथा कारागार अधिकारियों द्वारा उनके साथ व्यवहार का विश्लेषण किया है।

रानी बिलमोरिया ने आन्ध्रप्रदेश मे 120 सिद्धदोष महिला अपराधियों का अध्ययन किया। अपराध को अस्वस्थ वैवाहिक एंव पारिवारिक सम्बन्ध पितृसत्तात्मक समाज से अधिक है।

मनोवैज्ञानिक आंचल भगत के अनुसार महिला अपराधियों का समाजिक व्यवस्था से विश्वास उठ गया है। महिलाओं के विश्वास को बन्द (Seal) कर दिया गया है। संवैधानिक अधिकार और विशेषाधिकारों के बजाय अभावों से ग्रसित है। भारत के विभिन्न जगहों पर भेदभाव जन्म से लेकर मृत्यु तक विद्यमान रहता है। आंचल भगत ने अपने लेख में एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण को इंगित किया है, जो पीड़िता होकर अपराधि बन गई– फूलन देवी ।

सुनिता शर्मा 2001 ने अपराधी महिलांए और समाज विषय पर उत्तर प्रदेश की 66 कारागारों में बन्दी 225 महिला अपराधियों का अध्ययन किया जिसमें 80 सिद्धदोष एंव 145 विचाराधीन बन्दी थी। इनके अध्ययन का निष्कर्ष है कि महिला अपराधी पुरूषो की तुलना में गंभीर अपराध अधिक करती है। इनके अध्ययन मे 107 महिलांए हत्या के अपराध में बन्दी है। इन्होने पाया कि महिला अपराध के लिए प्रमुख कारण अशिक्षा, धन का लालच, एकांकी परिवार आदि है। इनके अनुसार महिला की कामवासना ही कम या अधिक रूप से अपराध जैसे समस्यामूलक व्यवहार की जड़ मे है। इन्होने 25 अपराधी महिलाओं से वैयाक्तिक अध्ययन द्वारा उनके जीवन से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है।

बी.आर.शर्मा 1993 ने तिहाड़ जेल तथा हिंसार हरियाणा की बोस्टल जेल की 36 महिला अपराधियों का अध्ययन किया। इन्होंने महिलाओं के वैवाहिक स्थिति, निवास स्थान, मासिक आय, आयु, अपराध के प्रकार के आधार पर महिला अपराध का अध्ययन किया। इन्होंने अपने अध्ययन मे पाया कि अनपढ़ विवाहित, नगरीय क्षेत्र में रहने वाली महिलाए बहुत गम्भीर अपराध करती है।

एम. नागेश कुमारी 2009 मे महिला कैदियो मे समाजिक– आर्थिक शाख्सियत विषय पर कोयम्बूटर जिला जेल की महिला कैदियो का अध्ययन किया। आपने महिला कैदियो की समाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण करके महिला अपराधियो के पुनर्वास के लिए उपयुक्त रणनीतियो को प्रस्तुत किया, लेकिन वर्तमान मे नयी परिस्थितियो के निर्माण के परिणामस्वरूप कई नवीन रणनीतियो के निर्माण की आवश्यकता है। जैविक दृष्टिकोण के अन्तर्गत लोम्ब्रोसो के योगदान को महिला अपराध पर वैज्ञानिक अध्ययन की नींव माना जाता है। आपके अनुसार महिला विचलन जैविक बनावट मे निहित है या महिला प्रजातियों की अन्तर्निहित विशेषता के रूप मे विद्यमान है। लोम्ब्रोसो बताते है कि महिला अपराधी ज्यादा भयावह होती है अपेक्षाकृत पुरूष अपराधियो के क्योकि महिलाओ की क्रुरूता पुरूषों की तुलना में कहीं अधिक परिस्कृत और डरावनी थी।

निष्कर्ष– महिलाओं का अपराध कार्य में संलिप्त होना सामान्य बात नही है क्योकि महिलांए परिवार की जड़ होती है यदि यही अपराध कार्य मे संलिप्त होगी तो परिवार का सारा सदस्य उससे प्रभावित होगा। महिलाओं से हमेशा सदाचार और परिस्थिति अनुसार कार्य की अपेक्षा की जाती है, लेकिन अपराध मे इनकी बढ़ती संख्या चिन्ता का विषय बन गया है। महिलाओं के अपेक्षा पुरूषों को शारीरिक रूप से मजबूत समझा जाता है। फिर भी महिलाए जघन्य अपराध तक करने में नही हिचकिचा रही है। यद्यपि महिला अपराधियो की संख्या सांख्यकीय दृष्टि से पुरूष अपराधियो से कम है, परन्तु फिर भी इसे एक प्रमुख समाजिक समस्या के रूप में देखा जा सकता है।

अपराधी हमेशा समाज के लिए खतरनाक होते है किन्तु अपना प्राप्त दण्ड पूरा कर लेने के बाद उन्हे पुनः समाज में रहने के लिए उनमें आत्मविश्वास जगाना होगा, ताकि वह आगे अपराध में प्रवृत्ति न होकर समाज के लिए उपयोगी साबित हो इसलिए उनके पुनर्वास की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। उन्हे समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए हर सम्भव प्रयास करना चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. आहुजा, राम और अहुजा मुकेश यप्रथम संस्करण 1998: विवेचनात्मक अपराधशास्त्र, रावत पब्लिकेशन, जयपुर एंव नई दिल्ली।
2. आहुजा, राम, सामाजिक समस्याए, रावत पब्लिकेश नई दिल्ली, 2016.
3. बघेल, डी.एस., अपराधशास्त्र, विवेक प्रकाशन, दिल्ली 2022.
4. Coldwell Robert G, 'Criminology'. University of Pennylbvaria Press, Philadelphia , 1956.
5. Government of India (2021), 'Crime in India 2021', New Delhi: New Delhi: National Crime Records Bu reau, Government of India.
6. Nili, P.M.K & Cherian, Neetu Susan. 'Female Criminality in India, Prevalence, Causes and Preventive Measures', International Journal of Criminal Justice Science 2015.
7. Pollok, O. 'The Criminality of Women'. 1950 New York: A.S Barnes.
8. Sharma, B.R (1993), 'Crime and Women : A Pscyho- Diagnostic study of female Criminality'. New Delhi Indian Institute of Public Admistration.
9. Simor, R. (1975) 'women anmd crime'. Hoxiglon, Massi : Laxington Books.
10. Tappan, Paul. 'Crime, Juice and correction;. MC Growhill. New York. 1958.

*****